07/6/17 पत्रावली आज वास्ते लोक अदालत राष्ट्रीय माह मई 2017 के समक्ष पेश हुई। वादी के वादी के अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रतिवादी [illegible] [illegible] अनुपस्थित है। प्रतिवादी [illegible] के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश किए जा चुके हैं। वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। [illegible] [illegible] [illegible], रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। [illegible] [illegible] [illegible] का [illegible] हेतु [illegible] [illegible] 151(A) RTA [illegible] किया जाता है। निर्णय [illegible] लिखवाया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2017 केम्प हलेड़
पीठासीन अधिकारी : राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 2031/2015

1. श्री जमना लाल पुत्र हीरा जाट, निवासी–हलेड, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री नन्द लाल पुत्र हीरा जाट, निवासी–हलेड, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
2. श्री कन्हैया लाल पुत्र हीरा जाट, निवासी–हलेड, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
3. श्री नारायण पुत्र सुवा जाट, हीरा जाट, निवासी–हलेड, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
4. श्री गिरधारी पुत्र गोकल जाट, हीरा जाट, निवासी–हलेड, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

<u>निर्णय</u>

दिनांक 07.06.2017

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हलेड़, पटवार हल्का हलेड में प्रार्थी की आराजी नं. 1131/4 रकबा 0–16 बीघा भूमि आराजी नं.1162 रकबा 0–04 बीघा गैमुआ से पीवल होती है। प्रार्थी की आराजी कुछ दूरी पर स्थित होने से आराजी नं. 1159 के उत्तरी मेड के सहारे व आम रास्ते से होकर आराजी नं.1151 की पश्चिमी मेड़ के सहारे होकर व आराजी नं. 1150की पश्चिमी मेड के सहारे से होकर तीन फीट भूमिगत पाईप लाईन जमीन के नीचे डालना चाहता है। सिंचाई हेतु भूमिगत लाईन/पानी का धोरा राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं व विपक्षीगण इसकेलिये तैयार नहीं है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली केम्प हलेड़ में पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण 01 से लगायत 04 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की गई।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 12.11.2016 को प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य के संबंध में पटवारी हल्का हलेड़ द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार किया गया, जो प्रस्तुत किया गया। मौका रिपोर्ट

के अनुसार प्रार्थी अपनी आराजी नं. 1131/4 रकबा 0–16 बीघा की पिलाई आराजी नं. 1162 रकबा 0–04 गैमु चाह से तीन फीट भूमिगत पाईप लाईन जमीन के नीचे डालने के लिये रास्ते में आराजी नं. 1159 रकबा 1–05 बीघा प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 1, नन्दलाल पिता हीरा जाट एवं प्रतिवादी सं. 2, कन्हैयालाल पिता हीरा जाट के वारिसान के नाम दर्ज है कि उतरी मेड से, आराजी नं. 1151 रकबा 1–04 बिस्वा प्रतिवादी सं. 3, नारायण पिता सुवा जाट के नाम दर्ज है कि पश्चिमी मेड से, आराजी नं. 1150 रकबा 0–19 बीघा जो कि प्रतिवादी संख्या 4 गिरधारी पिता गोकल जाट के नाम दर्ज है कि पश्चिमी मेड से होकर आराजी नं. 1144 रकबा 0–14 बीघा गैमु रास्ता बिलानाम सरकार से होकर अपनी आराजी नं. 1131/4 पर भूमिगत पाईप लाईन डालना चाहता है। आराजी नं. 1149 एवं 1160 में मकानात बने हुये है एवं आराजी नं. 1150 की पश्चिमी मेड पर बाड़ा बना हुआ है।

मौका पर्चा में प्रस्तावित भूमिगत पाईप डालने हेतु प्रदर्श मार्ग के अनुसार आराजी नं. 1150 में से रकबा 0–00–10 बीघा, आराजी नं. 1151 में से रकबा 0–00–10 बीघा एवं आराजी नं. 1159 में से रकबा 0–00–10 बीघा आता है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने से कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जता है। अतएवं

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम हलेड़, पटवार हल्का हलेड में प्रार्थी की आराजी नं. 1131/4 रकबा 0–16 बीघा भूमि आराजी नं.1162 रकबा 0–04 बीघा गैमुआ से पीवल के लिये तीन फीट भूमिगत पाईप लाईन जमीन के नीचे डालने हेतु मौका रिपोर्ट में प्रदर्श मार्ग के अनुसार आराजी नं. 1150 में से रकबा 0–00–10 बीघा, आराजी नं. 1151 में से रकबा 0–00–10 बीघा एवं आराजी नं. 1159 में से रकबा 0–00–10 बीघा आता है। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदारों की भूमि का नियमानुसार भुगतान करने के उपरान्त प्रस्तावित नक्शानुसार प्रार्थी भूमि का उपयोग करें व तहसीलदार भीलवाड़ा उक्त आराजियात से रकबा कम कर बिलानाम किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करते हुये नक्शे में तरमीम करें।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 07.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
भीलवाड़ा